निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख 1945 (श0)

(सं0 पटना 429) पटना, शुक्रवार, 19 मई 2023

सं0–2प0/प०स०भ०–09–56/2020/4881/पं०रा०
पंचायती राज विभाग

संकल्प
3 मई 2023

विषयः– ₹41,71,16,00,000.00 (एकतालीस अरब एकहत्तर करोड़ सोलह लाख रुपये) मात्र की राशि की लागत से 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के सभी 8057 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन पूर्व में ही तैयार किया गया है। भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है।

2. पंचायत सरकार भवन का उपयोग बहुउद्देशीय होगा। इसको उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं आपदाओं में भी उपयोग किया जा सकेगा। पंचायत सरकार भवन दो–मंजिला है। सामान्य क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल 6598 Sqft का है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 8924 Sqft का है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन–सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

3. राज्य के सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। पूर्व में राज्य की 8057 ग्राम पंचायतों में से अब तक 2316 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राज्य योजना मद की राशि से 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव है। प्रति पंचायत सरकार भवन सामान्य क्षेत्रों की प्राक्कलित राशि ₹1,99,92,000.00 (एक करोड़ निन्यानवे लाख बानवे हजार रूपये) हैं तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का प्रति पंचायत सरकार भवन ₹2,86,30,000.00 (दो करोड़ छियासी लाख तीस हजार रुपये) मात्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 10 प्रतिशत भवन मानकर कुल– 200×28630000 = ₹5,72,60,00,000.00 (पाँच अरब

बहत्तर करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र एवं सामान्य क्षेत्रों का 90 प्रतिशत भवन मानकर कुल–1800×19992000 = ₹35,98,56,00,000.00 (पैंतीस अरब अन्ठानवे करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र, इस प्रकार कुल–₹41,71,16,00,000.00 (एकतालीस अरब एकहत्तर करोड़ सोलह लाख रुपये) मात्र की राशि व्यय होगी, जिसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि संभावित है।

4. **भूमि का चयन :** विभागीय पत्रांक 8354 दिनांक 30.08.2022 द्वारा पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चयन हेतु समेकित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं अनुलग्नक–2 जिसके आधार पर जिला पदाधिकारियों द्वारा 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयनित की गयी है, जिसकी विवरणी अनुलग्नक–1 में संलग्न है। जिला द्वारा लक्ष्यानुसार चिन्हित की गई भूमि पर चयनित पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. (i) **योजना के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी :–** लोक वित्त समिति के दिनांक 17.04.2023 द्वारा इन शर्तो के साथ प्रस्ताव को अनुशंसित किया गया है।

(ii) ''प्रत्येक योजना को एक स्वतंत्र इकाई मानकर अलग–अलग निविदा का प्रकाशन होगा। पूरे राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक ही कार्यकारी एजेंसी का चयन किया जायेगा, जो एजेंसी PWD कोड में निहित प्रावधानों के अनुसार निविदा का निस्तार करेगी।''

(iii) राज्य में शेष बचे पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग (LAEO) होगी।

(iv) निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित क्रियान्वयन ऐजेन्सी के कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के अनुसार योजना के चयन सूची भूमि की विवरणी के साथ चयनित विभाग/एजेंसी के संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को उपलब्ध कराई जायेगी।

(v) जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद की राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से संबंधित क्रियान्वयन ऐजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना की राशि संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पी0डी0/पी0एल0 एकाउन्ट में रखी जायेगी। प्राक्कलन की स्टेजवार भौतिक प्रगति होने पर मापी का प्रावधान होगा। मापी पुस्त में अंकित स्टेजवार किये गये कार्य के आधार पर ही अग्रेतर भुगतान होगा। मापी के स्टेज निम्नवत् होंगे:–

a) मुख्य भवन के प्लींथ लेवल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।

b) मुख्य भवन के प्रथम तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।

c) मुख्य भवन के द्वितीय तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।

d) मुख्य भवन के फिनिशिंग कार्य (इलेकट्रिफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।

e) CSC Block (फिनिशिंग/इलेकट्रिफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।

f) Living Block (फिनिशिंग/इलेकट्रिफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।

g) Block, PHE एवं अन्य सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिफिकेशन सहित)

h) प्रत्येक माह योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर ऑनलाईन विहित प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अपलोड किया जायेगा एवं इसके आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण एवं राशि की विमुक्ति की जायेगी। पंचायत स्तर पर योजना का द्वितीय स्तर पर पर्यवेक्षण करने के लिए संबंधित पंचायत के तकनीकी सहायक एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रक (DQM) अधिकृत होंगे।

6. **इस योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु निम्नरूपेण समिति गठित होगी :–**

(i) संबंधित जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)।

(ii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद।

(iii) जिला अभियन्ता – जिला परिषद्।

(iv) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार।

(v) जिला में पदस्थापित सभी जिला गुणवत्ता प्रबंधक (DQM)।

(vi) जिला में कार्य कर रही क्रियान्वयन ऐजेन्सी के कार्यपालक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी – सदस्य।

(vii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

उक्त समिति पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निमित अन्तराल पर समीक्षा करेगी तथा कार्य में अवरोध दूर करने हेतु दिशा–निर्देश दे सकेगी।

7. **राज्य स्तर पर समीक्षा** :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग
3. मुख्य अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग
4. संबंधित कार्यान्वयन ऐजेन्सी के महानिदेशक (MD)/प्रमुख अभियंता
5. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा नामित सदस्य पंचायती राज विभाग के उप–सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी यह समिति राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा कर उसकी प्रगति हेतु दिशा–निर्देश दे सकेगी।

8. **बजट शीर्ष** :

षष्ठम राज्य वित्त आयोगः–

(i) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्यशीर्ष– 00– लघुशीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105–सहायक अनुदान परिसम्मपत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16–2515001960007 है।

(ii) 'मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0004–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों का अंशदान। विषय शीर्ष 3105–सहायक अनुदान परिसम्मपत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16–2515001970004 है।

(iii) 'मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– उपमुख्यशीर्ष– 00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105–सहायक अनुदान परिसम्मपत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16–2515001980009 है।

राज्य योजना मदः–

(iv) मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101–पंचायती राज विभाग उप शीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग)। विषय शीर्ष 5301–मुख्य निर्माण इकाई। विपत्र कोड 16–4515001010108 है।

(v) षष्ठम राज्य वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2021–22 में **₹815.305** करोड़, वित्तीय वर्ष 2022–23 में 950.500 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 897.00 करोड़ बजटीय उपबंध होनी है। राज्य योजना मद में 340 करोड़ की राशि बजटीय उपबंध है। राज्य वित्त आयोग से राशि की अनुशंसा प्राप्त होते हीं अलग से उसकी स्वीकृत्यादेश जिलावार लक्ष्यानुसार निर्गत किया जायेगा।

9. योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन दिनांक 02.05.2023 को संचिका सं0–2प/पं0स0भ0–09–56/2020 के संचिका पृष्ठ–47/टि0 पर मद संख्या 15 के रूप में प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

पंचायत सरकार भवन

अनुलग्नक–1

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंडो की संख्या	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022–23 में पंचायत सरकार भवन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों की संख्या का 75%	कुल निर्मित पंचायत सरकार भवनों की संख्या	निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या	जिला द्वारा अबतक चिन्हित की गई पंचायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Araria	9	211	158	29	11	53
2	Arwal	5	64	48	16	3	31
3	Aurangabad	11	202	152	58	23	39
4	Banka	11	182	137	29	23	27
5	Begusarai	18	217	163	26	13	60
6	Bhagalpur	16	238	179	37	25	84
7	Bhojpur	14	226	170	52	21	33
8	Buxar	11	136	103	16	17	50
9	Darbhanga	18	309	232	62	28	72
10	Gaya	24	320	240	85	53	62
11	Gopalganj	14	230	173	37	24	86
12	Jamui	10	152	114	26	26	50
13	Jehanabad	7	88	66	17	8	32
14	Kaimur	11	146	110	29	15	42
15	Katihar	16	231	173	34	31	41
16	Khagaria	7	113	85	19	14	47
17	Kishanganj	7	125	94	22	15	47
18	Lakhisarai	7	76	57	13	2	27
19	Madhepura	13	160	120	61	16	62
20	Madhubani	21	388	291	76	3	107
21	Munger	9	96	72	12	9	51
22	Muzaffarpur	16	373	280	58	37	30
23	Nalanda	20	231	173	76	29	50
24	Nawada	14	182	137	30	28	20
25	Paschim Champaran	17	303	227	37	18	53
26	Patna	23	309	232	51	16	31

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंडो की संख्या	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022–23 में पंचायत सरकार भवन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों की संख्या का 75%	कुल निर्मित पंचायत सरकार भवनों की संख्या	निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या	जिला द्वारा अबतक चिन्हित की गई पंचायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	9
27	Purnia	14	230	173	31	30	81
28	Purvi Champaran	27	396	297	67	50	105
29	Rohtas	19	229	172	65	41	65
30	Saharsa	10	135	101	28	33	28
31	Samastipur	20	346	260	87	23	88
32	Saran	20	318	239	43	34	64
33	Sheikhpura	6	49	37	9	6	19
34	Sheohar	5	53	40	7	3	6
35	Sitamarhi	17	258	194	29	31	65
36	Siwan	19	283	212	41	35	39
37	Supaul	11	174	131	33	24	74
38	Vaishali	16	278	209	43	7	79
	Total	533	8057	6051	1491	825	2000

मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 429-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in